फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

भागन्ती देवी .....बनाम..... जगमोहन .....

किस्म मुकदमा – दावा मु.न. 42/2024

तारीख हुक्म	
17/12/24	पत्रावली पेश हुई, वकील [illegible] का स्थगत/P.O [illegible] राज्य [illegible] व्यस्त, दौरे पर होने के जनरल [illegible] पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 5/2/25 को पेश हो
5/2/25	पत्रावली पेश हुई, वकील द्वारा का स्थगत/P.O [illegible] राज्य [illegible] व्यस्त, दौरे पर होने के जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 1/4/25 को पेश हो
01/04/25	पत्रावली पेश। वकील वादी अनु०/प्रत: ने वकील वादी अनु०, पत्रावली मे पैरवी हेतु बार-बार खुले न्यायालय मे आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी हाजिर नही आया। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजिरी के खारिज की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा